भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

**तारांकित प्रश्न संख्या – *215**
उत्तर देने की तारीख : 10.12.2024

**विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र**

*215. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों तथा जारी किए गए पहचान पत्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र के लिए आवेदन पर कार्रवाई पूर्ण होने में लगने वाला औसत समय कितना है; और

(ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र आवेदकों का आकलन करने के लिए राज्य-वार प्रत्येक जिले में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की औसत संख्या का ब्यौरा क्या है और इसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री**
**(डॉ. वीरेंद्र कुमार)**

**(क) से (ग):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**''विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र'' के संबंध में श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा दिनांक 10.12.2024 के पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *215 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क):** यूडीआईडी परियोजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। यह परियोजना यूडीआईडी पोर्टल (url: www.swavlambancard.gov.in) नामक एक ऑनलाइन केंद्रीयकृत प्लेटफार्म प्रदान करती है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारियों को दिव्यांगजनों को उनकी दिव्यांगता के प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर शामिल किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, यूडीआईडी पोर्टल पर पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त आवेदनों की संख्या और आज तक जारी किए गए यूडीआईडी कार्ड निम्नानुसार हैं:

| क्र.सं. | राज्य का नाम | प्राप्त आवेदनों की संख्या | जारी किए गए यूडीआईडी कार्डों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | **असम** | **363778** | **216345** |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4381 | 4001 |
| 3. | मणिपुर | 18621 | 13647 |
| 4. | मेघालय | 33090 | 32207 |
| 5. | मिजोरम | 6441 | 6223 |
| 6. | नागालैंड | 3594 | 3124 |
| 7. | सिक्किम | 5448 | 5169 |
| 8. | त्रिपुरा | 44151 | 37929 |
| | **कुल** | **479504** | **318645** |

**(ख):** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी आवेदन जमा होने के तुरंत बाद उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में आवेदन करने की तिथि से लेकर यूडीआईडी कार्ड तैयार होने की तिथि तक चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा राज्यवार लिया गया औसत समय नीचे दिया गया है:-

| क्र.सं. | राज्य का नाम | औसत (दिन) |
|---|---|---|
| 1. | असम | 141 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 36 |
| 3. | मणिपुर | 162 |
| 4. | मेघालय | 155 |
| 5. | मिजोरम | 4 |
| 6. | नागालैंड | 50 |
| 7. | सिक्किम | 20 |
| 8. | त्रिपुरा | 91 |
| | पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) (8 राज्य) के लिए औसत | 82 |

(ग): यूडीआईडी पोर्टल पर संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार, आज की तारीख तक पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषज्ञों की संख्या का जिलावार विवरण **अनुबंध** में संलग्न है।

विभाग ने 14 मार्च, 2024 को भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश अधिसूचित और प्रकाशित किए हैं। संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशा-निर्देशों की एक विशेषता यह है कि चिकित्सा पेशेवरों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, निजी चिकित्सा विशेषज्ञ (संबंधित चिकित्सा क्षेत्र में विधिवत योग्य) को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित (को-ओप्ट) करने का प्रावधान किया गया है, अध्यक्ष अनिवार्य रूप से एक सरकारी डॉक्टर होना चाहिए जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन या जैसा निर्दिष्ट किया गया हो, ताकि यूडीआईडी संबंधी आवेदनों का समय पर और शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सके।

यदि किसी विशेष जिले/अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी है, तो वह जिला अस्पताल दिव्यांगजनों की मूल्यांकन प्रक्रिया में उसी राज्य के अन्य जिलों में उपलब्ध विशेषज्ञों को शामिल कर सकते हैं।

इन उपायों को यूडीआईडी पोर्टल में लंबित आवेदनों के शीघ्र और समय पर निपटान के लिए, अन्य जिलों में विशेषज्ञों की उपलब्धता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्परता से कदम बढ़ाये गए है।

*******

अनुबंध

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आज की तिथि तक यूडीआईडी पोर्टल पर संबंधित राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों की जिलावार संख्या

| राज्य का नाम | क्र.सं. | जिला | विशेषज्ञों की संख्या |
|---|---|---|---|
| असम | 1. | बारपेटा | 12 |
| | 2. | बोंगाईगांव | 12 |
| | 3. | कछार | 18 |
| | 4. | दारंग | 21 |
| | 5. | धेमाजी | 5 |
| | 6. | धुबरी | 5 |
| | 7. | डिब्रूगढ़ | 13 |
| | 8. | गोलपाड़ा | 8 |
| | 9. | गोलाघाट | 21 |
| | 10. | हैलाकांडी | 5 |
| | 11. | जोरहाट | 26 |
| | 12. | कामरूप | 27 |
| | 13. | करीमगंज | 18 |
| | 14. | कोकराझार | 13 |
| | 15. | लखीमपुर | 17 |
| | 16. | मारीगांव | 9 |
| | 17. | नगांव | 17 |
| | 18. | नलबाड़ी | 19 |
| | 19. | दीमा हसाओ | 6 |
| | 20. | शिवसागर | 8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 21. | सोणितपुर | 22 |
| | 22. | चिरांग | 13 |
| | 23. | बक्सा | 5 |
| | 24. | उदलगुड़ी | 8 |
| | 25. | कामरूप मेट्रो | 30 |
| | 26. | बिश्वनाथ | 4 |
| | 27. | माजुली | 10 |
| | 28. | साऊथ सलमारा मंचाचर | 4 |
| | 29. | चराइदेव | 20 |
| | 30. | होजाई | 10 |
| | 31. | बजाली | 11 |
| | कुल | | 417 |
| **अरूणाचल प्रदेश** | 1. | चांगलांग | 5 |
| | 2. | दिबांग घाटी | 4 |
| | 3. | पूर्वी कामेंग | 5 |
| | 4. | पूर्वी सियांग | 6 |
| | 5. | कुरुंग कुमेय | 5 |
| | 6. | लोहित | 5 |
| | 7. | लोअर दिबांग वैली | 9 |
| | 8. | पापुम पारे | 11 |
| | 9. | तवांग | 3 |
| | 10. | तिरप | 4 |
| | 11. | अपर सुबनसिरी | 5 |
| | 12. | वैस्ट कामेंग | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 13. | लोंगडिंग | 6 |
| | 14. | क्रा दादी | 5 |
| | 15. | नामसाई | 5 |
| | 16. | पक्के केसांग | 1 |
| | कुल | | 81 |
| मणिपुर | 1. | बिश्नुपुर | 14 |
| | 2. | चंदेल | 3 |
| | 3. | छुरछंदपुर | 11 |
| | 4. | इंफाल पूर्व | 22 |
| | 5. | इंफाल पश्चिम | 68 |
| | 6. | सेनापति | 12 |
| | 7. | तामेंगलांग | 6 |
| | 8. | थौबल | 16 |
| | 9. | उखरूल | 8 |
| | 10. | काकचिंग | 5 |
| | 11. | कांगपोकपी | 26 |
| | 12. | जिरीबाम | 9 |
| | 13. | नोनी | 16 |
| | 14. | फ़ेरज़ावल | 1 |
| | 15. | टेंग्नौपाल | 13 |
| | 16. | कामजोंग | 5 |
| | कुल | | 235 |
| मेघालय | 1. | पूर्वी गारो हिल्स | 10 |
| | 2. | पूर्वी खासी हिल्स | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3. | पश्चिमी जयन्तिया हिल्स | 8 |
| | 4. | री भोई | 15 |
| | 5. | दक्षिणी गारो हिल्स | 6 |
| | 6. | पश्चिमी गारो हिल्स | 12 |
| | 7. | पश्चिमी खासी हिल्स | 14 |
| | 8. | उत्तरी गारो हिल्स | 5 |
| | 9. | पूर्वी जयन्तिया हिल्स | 6 |
| | 10. | दक्षिणी पश्चिमी खासी हिल्स | 13 |
| | 11. | दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स | 8 |
| | 12. | पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स | 12 |
| | कुल | | 199 |
| **मिजोरम** | 1. | आइजोल | 17 |
| | 2. | चम्फाई | 4 |
| | 3. | कोलासिब | 6 |
| | 4. | लॉन्गत्लाई | 3 |
| | 5. | लुंगलेई | 5 |
| | 6. | मामित | 5 |
| | 7. | सीअहा | 3 |
| | 8. | सेरछिप | 4 |
| | 9. | हनाथियाल | 1 |
| | 10. | सैतुअल | 2 |
| | 11. | ख़ावज़ौल | 2 |
| | कुल | | 52 |
| **नागालैंड** | 1. | दीमापुर | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2. | कोहिमा | 21 |
| | 3. | मोकोकचुंग | 10 |
| | 4. | मोन | 3 |
| | 5. | फेक | 5 |
| | 6. | तुएनसांग | 3 |
| | 7. | जुन्हेबोटो | 3 |
| | कुल | | 51 |
| **सिक्किम** | 1. | गंगटोक | 14 |
| | 2. | मंगन | 2 |
| | 3. | नामची | 4 |
| | 4. | ग्यालशिंग | 5 |
| | कुल | | 25 |
| **त्रिपुरा** | 1. | धलाई | 18 |
| | 2. | उत्तरी त्रिपुरा | 9 |
| | 3. | दक्षिण त्रिपुरा | 23 |
| | 4. | पश्चिम त्रिपुरा | 62 |
| | 5. | खोवाई | 48 |
| | 6. | सेपाहीजाला | 50 |
| | 7. | गोमती | 20 |
| | 8. | उनाकोटि | 10 |
| | कुल | | 240 |

*****